

FORM NO- III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

जज अदालत ..... उपखंड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना .....  
 19/06/23 ..... वनाम ..... 19/06/23 ..... सन ..... 19/06/23  
 किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नं. .... हुक्म या कार्यवाही मंय इनिशियल जज:

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मंय इनिशियल जज:	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

09.06.23

एडवोकेट श्यामल ने यह प्रार्थना पत्र द्या है  
 212 आ.टी.एक्ट के तहत प्रेश किया है।  
 एडवोकेट की एक पक्षीय सुन। पक्षीय  
 में सम्बन्ध राजस्व आदि-लीव का अयोजन  
 किया। उभय पक्षकारान (श्यामल एवं अश्यामल)  
 को आगामी 19 जून 23 तक  
 इस अहकाम निरीक्षण से पावक किया  
 जाय है कि प्रार्थना पत्र की शर्तों  
 में वाजिब आगामी तक श्यामल  
 स्वामी तहसील वृषाण के मोर्चे की  
 मर्यादा बनाव रहे। उभय पक्षकारान  
 एक-दूसरे के कर्जे कांस्ट के उपयोग  
 उपयोग में वाधा उत्पन्न नहीं करें। इस  
 वाक कोई श्यामली ही तो रिपट का  
 प्रेशी को प्रामाण्य द्या उपस्थित  
 है। प्रमाण द्या रजिस्ट्र है। अश्यामल  
 को जरूर नोडिस तबत का प्रमाण  
 दिनांक 19/06/2023 को प्रेश है।

19/06/23  
 पीठासीन अधिकारी  
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/06/23 को प्रेश है।  
 रीडर  
 एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बयाना (भरतपुर)  
 पुनः कार्य में लय  
 पीठासीन अधिकारी  
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/06/23 को प्रेश है।  
 रीडर  
 एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

11/06/23

